



Neutral Citation No. - 2026:AHC:40878

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2724/2026

शिवराज कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अतुल कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. श्री विवेक सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि इस न्यायालय को वर्तमान याचिका को स्वीकार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है, विशेष रूप से जब रिट याचिकाकर्ता हरदोई में तैनात है और वह सहारनपुर स्थानांतरण चाहता है।
3. इन सब बातों को देखते हुए, रिट याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका वापस लेना चाहता है जबकि क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के समक्ष उचित कार्यवाही प्रस्तुत करना चाहता है।
4. तदनुसार, रिट याचिका रिट याचिकाकर्ता को मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए निस्तारित की जाती है।

24 फ़रवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।